प्रतिलिपि : आदेश दिनांक 17–06–2026

सदस्य द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर म.प्र.

एम.जे.सी. एम.ए.सी.सी. प्रकरण क्रमांक–167 / 2026

फाइलिंग क्रमांक–1514 / 2026

सी.एन.आर.नंबर–एम.पी.0701–005068–2026

पंजीयन दिनांक 12–03–2026

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री अशोक सिंह, आयु 54 वर्ष,
2. रिंकू चौहान पुत्र स्व. श्री अशोक सिंह, आयु 36 वर्ष,
3. नीरज चौहान पुत्र स्व. श्री अशोक सिंह, आयु 34 वर्ष,
4. अनिल चौहान पुत्र स्व. श्री अशोक सिंह, आयु 32 वर्ष,
5. वर्षा चौहान पुत्री स्व. श्री अशोक सिंह, आयु 29 वर्ष,
6. सुघर सिंह (मृतक के पिता),
7. श्रीमती गौरादेवी पत्नी स्व. श्री सुघर सिंह,

सभी निवासी – मोहरवन सिंह का पुरा, थाना बिजौली, जिला ग्वालियर। ..... आवेदकगण

बनाम

1. सोनू बाथम पुत्र श्री कल्लू बाथम, निवासी सी.पी. कॉलोनी के सामने, बसंत नगर, मुरार, ग्वालियर।
2. श्रीमती सुमन दुबे पत्नी श्री सुनील दुबे, निवासी शिव भारती पब्लिक स्कूल के पास, सैनिक कॉलोनी, पिन्टो पार्क, मुरार, ग्वालियर।
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मण्डल कार्यालय जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर द्वारा प्रबन्धक। ..... अनावेदकगण

17–06–2026 आवेदिका श्रीमती गंगाबाई सहित अधिवक्ता श्री राधेश्याम चौहान।

अनावेदकगण अनिर्वाहित,

प्रकरण आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण में मूल अभिलेख क्लेम प्रकरण क्रमांक–6400517 / 2016 श्रीमती गंगाबाई एवं अन्य बनाम सोनू बाथम एवं अन्य, लोक अदालत आदेश दिनांक 11 / 02 / 2017 प्राप्त होकर संलग्न है।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र वास्ते समय पूर्व एफ.डी.आर. का भुगतान दिलाये जाने बावत् पर सुना गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदिका के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत क्लेम प्रकरण क्रमॉक–517/2016 में पारित अवार्ड के पालन में जमा राशि में से आवेदिका गंगाबाई के नाम से प्राप्त राशि दिनांक 13–03–2024 को तीन वर्ष के लिये यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जिला न्यायालय ग्वालियर में एफ.डी.आर. क्रमांक–6671030033748 सावधि जमा की गयी है। एक वर्ष पूर्व हुई दुर्घटना में आवेदिका के नाती अमन चौहान की जॉघ की हड्डी टूट जाने से हुए गम्भीर ऑपरेशन में आवेदिका द्वारा लगभग 1,50,000/– रूपये कर्ज लेकर खर्च किये गये, वर्तमान में उसके नाती की जॉघ में डली रॉड को निकाले जाने हेतु ऑपरेशन किया जाना है, जिस हेतु एक लाख रूपये की आवश्यकता है, आवेदिका की आर्थिक स्थिति दयनीय होकर उसकी आय का कोई स्थायी स्त्रोत नहीं है, अतः आवेदिका के नाम से जमाशुदा उक्त वर्णित एफ.डी.आर. का समय पूर्व भुगताने दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन के समर्थन में आवेदिका के नाम से एफ.डी.आर. की छायाप्रति, नाती के इलाज के दस्तावेजों की छायाप्रति, लोक अदालत आदेश की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।

उक्त एफ.डी.आर. की मूल प्रति भी प्रस्तुत की गयी, जिसका प्रस्तुत छायाप्रति से मिलान कर वापस की गयी।

उक्त संबंध में आवेदिका के कथन लेखबद्ध किये गये।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मूल अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका के पति अशोक सिंह चौहान की सड़क दुर्घटना में दिनांक 18–07–2015 को मृत्यु हो जाने से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम प्रकरण 6400517/2016 श्रीमती गंगाबाई आदि बनाम सोनू बाथम आदि में नेशनल लोक अदालत में हुए राजीनामा के आधार पर पारित अवार्ड दिनांक 11–02–2017 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक पक्ष द्वारा जमा करायी जाने पर उसमें से आवेदिका श्रीमती गंगाबाई के नाम से एफ.डी.आर. टी.डी.आर. एकाउन्ट नंबर 667103030033748 राशि रूपये–1,40,531/– दिनांक 13–03–2024 को बनवायी गयी।

आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र, कथन एवं उसकी ओर से किये गये मौखिक तर्क बताया गया है कि उसके नाती अमन चौहान का एक वर्ष पूर्व एक्सीडेण्ट हो जाने से उसकी जॉघ की हड्डी जोड़ने के संबंध में ऑपरेशन कर डाले गये सरिये को वर्तमान में पुनः ऑपरेशन कर निकलवाये जाने हेतु धन की आवश्यकता है तथा आवेदिका की आर्थिक स्थिति दयनीय होकर उसकी आय का कोई स्थायी स्त्रोत नहीं होना बताया गया है। उक्त संबंध में उसने उसके नाती के इलाज संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ भी प्रस्तुत की गयी हैं।

आवेदिका ने उक्त आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत की है कि एफ.डी.आर. से प्राप्त होने वाले राशि का उपयोग अपने नाती के

इलाज में करेगी।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त इस प्रकरण में उसके पक्ष में हुई उक्त वर्णित एफ.डी.आर. को समय पूर्व भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। संबंधित बैंक शाखा को आवेदिका श्रीमती गंगाबाई के पक्ष में इस प्रकरण में हुई उक्त एफ.डी. आर. की जमाशुदा राशि का मय ब्याज समय पूर्व भुगतान किये जाने संबंधी पत्र जारी किया जावे।

इस आदेश की एक सत्यप्रतिलिपि मूल क्लेम प्रकरण में संलग्न करते हुए, मूल क्लेम प्रकरण विधिवत् वापस किया जावे।

इस एम.जे.सी.एम.ए.सी.सी. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में नियमानुसार अभिलेखागार भेजा जावे।

हस्ता0/–
(विवेक कुमार सिंह)
सदस्य द्वितीय मो.दु.दा. अधिकरण
ग्वालियर म.प्र.

VIVEK KUMAR SINGH

Digitally signed by VIVEK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 13:26:42 +0530